## प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



## भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : <u>www.rbi.org.in/hindi</u> Website : <u>www.rbi.org.in</u> ई-मेल/email : <u>helpdoc@rbi.org.in</u>





संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,

Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

22 नवंबर 2024

## बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पिठत धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश सं. LKO.DOS.SED.No.S842/10-12-133/2022-2023 के द्वारा 24 अगस्त 2023 तक छह महीने की अविध के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अविध को समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार दिनांक 16 अगस्त 2024 के निदेश सं. DOR.MON/D-43/12.22.133/2024-25 के द्वारा 24 नवंबर 2024 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अविध को 24 नवंबर 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

- 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश को 24 नवंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से 24 फरवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक तीन महीने की अतिरिक्त अविध के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।
- 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1564

(पुनीत पंचोली)

मुख्य महाप्रबंधक